<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3019

21 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

कडप्पा और बय्याराम में इस्पात संयंत्र की स्थापना

3019. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः

श्री टी.जी. वेंकटेशः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा और तेलंगाना के बय्याराम में इस्पात संयंत्रों की संभाव्यता का आकलन करने के लिए गठित कार्य-बल ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों राज्य सरकारों ने मेकॉन लिमिटेड को इस्पात संयंत्रों की स्थापना ने संबंध में आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाई है; और

(ग) क्या सरकार ने कडप्पा और बय्याराम में यथाशीघ्र इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने की घोषणा करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (ग): जी हाँ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, की तेरहवीं अनुसूची की शर्तों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के वाईएसआर, कडप्पा जिले में और तेलंगाना के खम्मम जिले के बय्याराम में एकीकृत इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा व्यवहार्यता संबंधी जाँच की जानी थी। सेल द्वारा दिनांक 02.12.2014 को प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इस्पात संयंत्रों की स्थापना प्रथम दृष्ट्या वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है। बाद में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस्पात संयत्रों की स्थापना करने हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए दिनांक 19.10.2016 को एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें केंद्रीय एवं संबंधित राज्य सरकारों, सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड और एमएसटीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हैं। दिनांक 27.12.2017 को आयोजित टास्क फोर्स की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संबंधित राज्य सरकार रिपोर्ट तैयार करने और वास्तविक पूर्वानुमान तैयार करने के लिए मेकॉन के साथ आंकड़ों का आदान-प्रदान करेगी। दोनों राज्य सरकारों से प्राप्त पूर्ण सूचना/पुष्टिकरण के आधार पर मेकॉन व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा तैयार करेगा।

******